न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2326871

GCMS NO.-2024/98
मिसल नम्बर–31 / 2024

1.देशराज यादव आत्मज श्री दिलीप सिंह यादव आयु 62 वर्ष जाति यादव
2.श्रीमती किरण बाला यादव पत्नी श्री देशराज यादव आयु 61 वर्ष यादव निवासीगण जैन मंदिर रोड भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन कोटा

–प्रार्थीगण

बनाम

1.श्रीमती प्रेरणा यादव पत्नी श्री तुषार यादव पुत्री श्री दिनेश कुमार यादव निवासी जैन मंदिर रोड भीमगंजमण्डी कोटा जंक्शन कोटा हाल निवासी म0नं0 4 बी 23 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा
2.दिनेश कुमार यादव आत्मज स्व0 लक्ष्मीनारायण यादव आयु 57 वर्ष जाति यादव निवासी म0नं0 4 बी 23 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा
3.श्रीमती सुमन यादव पत्नी श्री दिनेश कुमार यादव आयु 55 वर्ष जाति यादव निवासी म0नं0 4 बी 23 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा
4.श्रीमती शशि यादव पुत्री स्व0 पन्नालाल निवासी सुरप्रीन होटल के पास कोटा सेन्टर हॉस्पीटल की गली, स्टेशन रोड थाना भीमगंजमण्डी कोटा

–अप्रार्थीगण

–::निर्णय::–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र)

दिनांक –20 / 12 / 2024

उपस्थित–

1.श्री अंकुर जैन प्रार्थीगण अधिवक्ता
2.श्री सुधीन्द्र यादव अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी पक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण आपस में पति–पत्नी है और जैन मंदिर रोड़, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा (राजस्थान) पर निवास करते है तथा प्रार्थीगण सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनधारी कर्मचारी है तथा प्रार्थी क्रम 2 कैन्सर नामक गम्भीर व्याधि से ग्रसित चली आ रही है तथा प्रार्थीगण की अप्रार्थी क्रम 1 पुत्रवधु है तथा अप्रार्थी क्रम 2 व 3, अप्रार्थी क्रम 1 के माता–पिता है तथा अप्रार्थी क्रम 4, अप्रार्थी क्रम 1 की मौसी है तथा अप्रार्थी क्रम 1 अपने पति तुषार यादव के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पुलिस के सहयोग से बेदखल करके रहेगी और प्रार्थीगण के विरूद्ध झूठी कानूनी कार्यवाहियां जेल में सड़वा देगी। इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 येन केन प्रकारेण प्रार्थीगण को उनके स्वामित्वशुदा परिसर से बेदखल कर उक्त मकान को खुर्द–बुर्द करते हुये हड़प कर जाना चाहती है। इस प्रकार प्रार्थीगण का जीवन–यापन करना अप्रार्थी क्रम 1 के साथ सम्भव नहीं रहा है। अप्रार्थी क्रम–2 लगायत 4 ने आपस षडयंत्र रचकर प्रार्थीगण को धमकी दी कि मकान अप्रार्थी क्रम 1 के नाम करवाया जाये। नहीं तो वह प्रार्थीगण के उपर झूठें आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाकर उन्हें जेल भिजवा देगें और मकान पर कब्जा कर लेगें। जब प्रार्थीगण ने इसका विरोध किया तो अप्रार्थीगण ने झूठी शिकायत पुलिस थाना भीमगंजमण्डी में प्रस्तुत कर दी और प्रार्थीगण को पाबंद करवा दिया जबकि प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन वृद्ध व्यक्ति है, जिनके लिये इस प्रकार का व्यवहार अपने पुत्र या पुत्रवधु के साथ करना सम्भव ही नहीं है, परंतु अप्रार्थीगण किसी ना किसी अवैध व गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीगण के उपर वर्णित मकान को अप्रार्थी क्रम 1 के नाम करवाने का दबाव बना रहे है, परंतु प्रार्थीगण को यह पता है कि यदि मकान उसने अप्रार्थीगण के नाम कर दिया तो वह प्रार्थीगण को प्रताड़ित कर मकान से बेदखल कर देगें। इस प्रकार अप्रार्थीगण का व्यवहार व आचरण प्रार्थी के साथ अत्याचार पूर्ण है। इन तत्परिस्थितियों में प्रार्थीगण अब अप्रार्थी क्रम 1 को अपने मालिकाना स्वामित्व के मकान से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करना चाहते है, जिससे कि प्रार्थीगण अपना शेष जीवन शांति पूर्ण रूप से सुखद जीवन यापन कर सके। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में उनकी सम्पत्ति को हड़प करने की साजिश के तहत उक्त मकान को अप्रार्थीगण उनके नाम करवाने की धमकी दे रहे है और प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की हरकतों को देखते हुये उन्हें परिवार सहित मकान खाली करने हेतु दिनांक 12.03.2024 को कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि यदि प्रार्थीगण ने मकान खाली करने के लिये कहा या खाली करने के सम्बंध में कोई कानूनी कार्यवाही की तो प्रार्थीगण के उपर झूठा छेड़खानी, बलात्कार, लज्जा भंग का आरोप लगाकर थाने में बंद करवा देगी। इस प्रकार अप्रार्थीगण अवैध रूप से उक्त मकान में कब्जा जमाये हुये है और खाली करने के लिये कहने पर प्रार्थीगण को पुलिस थाने एवं जेल में बंद करवाने की धमकियां देते चले आ रहे है तथा बिजली का बिल भी जमा नहीं कर रहे है। चूंकि बिजली व पानी का कनेक्शन प्रार्थीगण के नाम से ही है इसलिये मजबूरन विद्युत व पानी उपभोग का चार्जेज प्रार्थीगण द्वारा ही जमा करवाया जा रहा है। उपरोक्तानुसार अप्रार्थी क्रम 1 का व्यवहार व आचरण प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण के पुत्र के साथ–साथ प्रार्थीगण के साथ भी काफी आक्रामक व क्रूरता पूर्ण रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को माता–पिता की भांति कोई मान सम्मान नहीं दिया गया और ना ही प्रार्थी क्रम 2 के कैन्सर जैसी गम्भीर व्याधि से रूग्ण होने के बावजूद भी उनके प्रति कोई मानवीय संवेदना का भाव नहीं रखा और ना ही कभी संवेदना प्रकट करते हुये करूणा का भाव रखा और ना ही कभी कोई देखभाल की गई और ना ही प्रार्थीगण को कभी अपने माता–पिता की भांति मान सम्मान दिया गया बल्कि प्रार्थीगण को काफी पीड़ा पहंचाते हुये पीड़ित करते हुये व्यथित किया गया साथ ही प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुये मानवीय रूप से काफी आहत एवं व्यथित किया गया और बात–बात पर ताने मारती रहती कि यह कब मरेगी और हर दम मरने की ताने दिया करती साथ ही उक्त अवस्था को भलीभांति जानते व समझते हुये प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाने में झूठी शिकायतें करते हुये परेशान करती रहती, जिसके तहत प्रार्थीगण खून के आंसू बहाते हुये मन मसोजकर रहे जाते।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण ने दिनांक 27.09.2023 को भी अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के साथ गाली–गलौच करते हुये लड़ाई झगड़ा करते हुये जबरन घर से बेदखल करने पर आमादा होने पर प्रार्थीगण ने पुलिस थाना भीमगंजमण्डी में शिकायत की तो अप्रार्थीगण के द्वारा उल्टे प्रार्थीगण को ही पाबंद करवा दिया गया। अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा दिनांक 22.03.2024 को भी स्वयं के प्रार्थीगण के प्रति आक्रामक रूख के चलते प्रार्थीगण के साथ बुरी तरह से गाली–गलौच की और घर के सामानों को तोड़फोड़ दिया और घर में लगी हुई टी.वी. को भी फैंककर तोड़ने लगी। इस पर प्रार्थीगण के द्वारा बड़ी मुश्किल से विनती करके अप्रार्थी क्रम 1 को समझाया, किंतु तब भी प्रार्थीगण की समझाईश पर अप्रार्थी क्रम 1 पर कोई असर नहीं हुआ और वह प्रार्थीगण को अपने माता–पिता व अन्य परिजनों के सहयोग से उनके स्वामित्वशुदा परिसर से बेदखल करने की धमकी दी गई। तदनुसार उपरोक्त तत्परिस्थितियों में प्रार्थीगण का अप्रार्थी क्रम 1 के साथ निवास करना और उसे अपने परिसर में निवास करने देना कतई सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वे प्रार्थीगण के खरीदशुदा एवं मालिकाना स्वामित्व के दो मंजिला मकान वाके जैन मंदिर रोड़, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा (राजस्थान) को शांति पूर्वक मय परिवार के खाली करवाकर उसका कब्जा प्रार्थीगण को सम्भलाया जावे साथ ही अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि अप्रार्थीगण अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य महिलाऐं इत्यादि, प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार की मारपीट इत्यादि नहीं करें और ना ही शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करें साथ ही अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के उपर झूठें मुकदमें अनैतिकता पूर्ण रीति से आरोप लगाकर पुलिस में दर्ज करवाकर उसे परेशान ना करें और प्रार्थीगण को शांति पूर्ण रूप से जीवन–यापन करने देवे तथा अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रार्थीगण के पक्ष में पारित की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीया क्रम 1 ने कभी कोई मानसिक एव शारीरिक क्रुरता प्रार्थीगण के साथ कारित नहीं की और हमेशा प्रार्थीगण को अपने माता पिता से बढ़कर माना, परन्तु खुद प्रार्थीगण व उनके पुत्र का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति क्रुरता पूर्ण रहा है तथा दहेज के लिए प्रार्थीया को प्रताडित करते रहे है। प्रार्थीगण व उनके पुत्र ने अप्रार्थी क्रम 1 को कभी किसी प्रतियोगिता की तैयारी नहीं करवायी, बल्कि ओर दहेज की मांग को लेकर अप्रार्थी क्रम 1 व उसके माता पिता व अन्य रिश्तेदारान जिनको उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकारान् बनाया गया है, घर जाते थे तो उनके साथ भी प्रार्थीगण द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 ने कभी भी प्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करना नही चाहा, बल्कि प्रार्थीगण ही अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त मकान से बेदखल करने पर आमादा रहे है तथा दिनांक 01.04.2024 को अन्त में प्रार्थीगण के द्वारा मारपीट कर अप्रार्थी क्रम 1 को भगा दिया है। प्रार्थीगण व उसका पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 को दहेज के लिए प्रताडित. करते रहे है जिसके लिए उनके द्वारा तरह–तरह की यातनाऐ दी जाती रही है, जिसकी शिकायत भी अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अपने माता पिता से की गयी है तथा थाना भीमगंजमण्डी में भी प्रार्थीगण व उनके पुत्र के विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा बिल्कुल सही एवं सत्य शिकायत दर्ज करवायी गयी थी, जिसमे पुलिस के द्वारा कानूनन प्रार्थीगण को पाबंद किया गया था, परन्तु उनकी समझाईश व पाबंदी का भी प्रार्थीगण व उनके पुत्र पर कोई असर नहीं हुआ है, और आज भी वो दहेज की मांग पर अडे हुए है और अप्रार्थी क्रम 1 को

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मकान से उक्त प्रकरण के दौरान ही बेदखल कर दिया है। अप्रार्थीगण ने कभी किसी प्रकार की कोई धमकी प्रार्थीगण को नहीं दी और ना ही कभी उनके मकान को हड़पने के लिए कोई प्रयास किया है। बल्कि प्रार्थी क्रम 1 प्रारम्भ से ही अप्रार्थी क्रम 1 पर बुरी नजर रखता रहा है, जिसकी शिकायत अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी क्रम 2 व अपने पति से भी की गयी, परन्तु उनके द्वारा प्रार्थी क्रम 1 को समझाने की बजाय अप्रार्थी क्रम 1 से ही लडाई झगडा करना प्रारम्भ कर दिया। दिनांक 22.03.2024 को कोई घटना कारित नहीं हुयी, बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 को घर पर अकेला छोडकर कमरे व रसोई के ताला लगाकर कोटा से बाहर घुमने चले गये, जिस पर अप्रार्थी क्रम 1 को खाना भी बाहर से मंगाकर खाना पड़ा, जब अप्रार्थी क्रम 1 ने सप्ताहभर बाद प्रार्थीगण आये तो उनसे कहां कि आप लोग रसोई तक के ताला लगाकर चले गये, पीछे से मेरे भूखे मरने की नोबत आ गयी, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा कहां गया कि जब तक तू हमारे दहेज की मांग पूरी नहीं कर देती, तब तक तू ऐसे ही भूंखे मरती रहेगीं और तुझे हम ऐसे ही छोड–छोड कर जाते रहेगें। यह तथ्य स्वीकार नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर में अप्रार्थीगण रह रहे हो, जिनसे फर्स्ट फ्लोर खाली कराया जाऐ, बल्कि प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान मे मारपीट कर अपनी दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण एक मात्र अप्रार्थी क्रम 1 जो उनकी पुत्रवधु है उसे खाली हाथ घर से निकाल दिया है तथा उसके स्त्रीधन सोने चांदी के जैवरात भी हड़प कर लिये है। प्रार्थीगण व उनका पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 को आये दिन दहेज के लिए मारपीट करते रहे है, दहेज के रूप में एक मकान की मांग करते रहे है, जिसका मुकदमा भी अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा महिला थाना कोटा में दर्ज करवा दिया गया है तथा इसके अलावा एक घरेलू हिंसा का मुकदमा भी प्रार्थीगण व उनके पुत्र के विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा दायर किया जा चुका है। तथा पारिवारिक न्यायालय में भी भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस स्थिति से बचने के लिए कि अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थीगण व उनके पुत्र पर मुकदमे दायर कर दायर कर देगी, जिससे उनको काफी कठिनाई होगी, उक्त कठिनाई से बचने के लिए ही उक्त फर्जी साक्ष्य गढ़ने के ईरादे से तथा अप्रार्थी क्रम 1 व उसके माता पिता व अन्य गवाह जो है, जिनंको भी उक्त प्रार्थना पत्र में बिना किसी कारण से पक्षकार बनाया गया है तथा मानसिक आघात पहुचाया गया है। इस प्रकार इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही झूंठा व बनावटी प्रतीत हो रहा है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई रिलिफ प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा झूंठे तथ्यो के आधार पर अन्य परिवाद व शिकायते भी अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध थाना भीमगंजमण्डी व पुलिस अधीक्षक कोटा को दी जाती रही है. इस कारण से उक्त प्रार्थना पत्र भी सदभाविक नहीं है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है तथा साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने स्वयं के पुत्र तुषार यादव को पक्षकार नहीं बनाया है, जिसके अभाव में भी उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। और जो रिलिफ उक्त प्रार्थना पत्र में चाही गयी है, कि सभी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान मे निवास करने लगे है बिल्कूल झूंठे है, अन्य अप्रार्थीगण तो दूर की बात है, बल्कि अप्रार्थी क्रम 1 जो प्रार्थीगण की पुत्रवधु है उसे भी प्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती धक्के देकर घर से खाली हाथ निकाल दिया है, जो वर्तमान मे अपने पीहर मे निवास कर रही है। उक्त तथ्यो को देखते हुए प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से दौरान बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक कोटा को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवं न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में दर्ज प्रकरण की प्रति पेश की। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि थानाधिकारी थाना भीमगंजमण्डी द्वारा दिनांक 28.04.2024 को इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107,116(3) सीआरपीसी श्रीमति प्रेरणा यादव पुत्र श्री दिनेश यादव वगै0 के विरूद्ध इलाका हाजा में शांति व कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की सम्भावना के कारण न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में पेश गया। जिसमें न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 11.06.2024 को श्रीमती प्रेरणा यादव वगै0 को 6 माह के लिये परिशांति कायम रखने हेतु पाबंद किया गया। इसी प्रकार अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट परिवाद 107,116(3) सीआरपीसी, न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश कम 1 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते निर्वाह भत्ते एवं न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 2 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की प्रति पेश की है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन यह निष्कर्ष निकलता है कि उभय पक्षकारान के मध्य घरेलू हिंसा के प्रकरण अन्य सिविल न्यायालयों में जैरकार है जिस कारण प्रकरण पारिवारिक हिंसा से संबंधित होना पाया जाता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपने पुत्र तुषार यादव को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में मात्र अपनी पुत्रवधु एवं अन्य रिश्तेदारों को पक्षकार बनाया गया है जिस कारण भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत बनना नही पाया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी सहायता इस अधिनियम के तहत नही दिलाई जा सकती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी दर्शित होता है कि उभयपक्ष द्वारा परिशांति भंग करने की पूर्ण सम्भावना है अतः उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे से लड़ाई–झगड़ा, मारपीट एवं गाली गलौच नही करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 20/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा